महत्वपूर्ण एवं खास

सुरक्षा में भारी चूक : पिस्टल लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचा युवक, तीन सुरक्षाकर्मी निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. एक युवक पिस्टल लेकर सीएम हाउस पहुंचा था, जिसे ष्टरू कक्षा के बाहर रोककर पिस्टल जब्त की गई. इस मामले में तीन सुरक्षाकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है. दरअसल यह मामला 25 फरवरी की है. सीएम साय से मुलाकात करने पहुंचा एक युवक पिस्टल लेकर सीएम हाउस में घुस गया था. ह शख्स लाइसेंसी पिस्टल लेकर सीएम आवास तक आ गया था, लेकिन सीएम कक्ष के बाहर उसे रोक लिया गया. फिर उस शख्स की पिस्टल जब्त कर ली गई. बताया जा रहा है कि यह शख्स गाड़ी में आया था, जिसके चलते उनकी चेकिंग नहीं की गई थी. सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एडीजी इंटेलिजेंस ने 3 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. अभी और सुरक्षा अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. सीएम सुरक्षा में तैनात वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

एसपी ने रिश्वत मांगने वाले आरक्षक को किया निलंबित

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। कोरबा एसपी ने कटघोरा थाने में पदस्थ आरक्षक नंदलाल सारथी क्रमांक 880 को निलंबित कर दिया है। आरक्षक पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति से मामला रफा दफा करने के एवज में50,000 की मांग की थी। एसपी ने जन सूचना के तहत मिली शिकायत के आधार पर जब मामले में रुचि ली तो शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई. एसपी ने आरक्षक नंदलाल सारथी को निलंबित कर दिया। एसपी द्वारा उठाए गए इस कठोर कदम से महकमें में हडक़ंप मच गया है।

स्थानांतरित पटवारियों को चेतावनी सूचना जारी

दुर्ग (आरएनएस)। कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग) जिला दुर्ग (छ.ग.) ने स्थानांतरित पटवारियों के लिए चेतावनी सूचना जारी की है। जारी चेतावनी सूचना में कहा गया है कि आदेश दिनांक 16 फरवरी 2024 द्वारा उन पटवारियों का स्थानांतरण कर दिया है, जो दुर्ग जिले के अंतर्गत एक ही तहसील में पदस्थ थे। तहसील दुर्ग, पाटन, धमधा, अहिवारा, भिलाई-03 एवं बोरी में 03 वर्ष अथवा 03 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रुप से अगले आदेश तक कोई भी जो कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग), जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा जारी दिनांक 16 फरवरी 2024 के उक्त स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन करना चाहता है। वे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) के पते पर पूर्व सूचना दे सकते है।

बिना अनुमति बजा रहा था, डीजे हो गई तगड़ी कार्यवाई

रायपुर (आरएनएस)। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में कोलाहल अधिनियम लागू है। ऐसे में थाना कोतवाली थाना क्षेत्र के दीनदयाल मार्केट में बिना अनुमति के डीजे बजा रहे एक युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी का नाम लक्ष्मण सहिस पिता रमेश सहित 28 वर्ष निवासी सीतामणी कोरबा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक, वर्मा एवं नेहा वर्मा, की पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किया गया है। इस क्रम में थाना प्रभारियों द्वारा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दीनदयाल मार्केट के पास सार्वजनिक स्थल में शादी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने साउंड बाक्स 04 नग, एम्पली 250 वॉट 01 नग, एम्पली 500 वॉट 01 नग, चोंगा 07 नग, पार्क लाईट 04 नग, जनरेटर 01 नग बरामद किया है।

नगरीय निकायों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्य पुन: स्वीकृति के बाद ही किए जा सकेंगे प्रारंभ

- अधोसंरचना मद एवं राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने लेनी होगी दोबारा मंजूरी
- नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय अनुशासन और शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने वित्त विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकायों को जारी किया परिपत्र
- विभाग ने प्राथमिकता वाले अप्रारंभ व निरस्त कार्यों को 2023-24 के प्रस्ताव में पुन: शामिल कर स्वीकृति के लिए संचालनालय या सूडा भेजने कहा

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पुन: स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद एवं राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने के लिए विभाग से पुन: मंजूरी लेनी होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय अनुशासन और शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने वित्त विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्राथमिकता वाले अप्रारंभ व निरस्त कार्यों को वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव में पुन: शामिल कर स्वीकृति के लिए संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण दस्ष्ट्र½ भेजने को कहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी परिपत्र में कहा है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने के संबंध में समय-सीमा पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसी अनुक्रम में वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा पुन: निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुन: सहमति के उपरांत ही प्रारंभ किया जाए। अधोसंरचना मद एवं राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 में स्वीकृत ऐसे कार्य जो अप्रारंभ हैं, उन्हें निरस्त किया जाता है। परिपत्र में कहा गया है कि यदि अप्रारंभ या निरस्त किए गए कार्य संबंधित नगरीय निकाय की प्राथमिकता में हैं, तो ऐसे कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव में पुन: शामिल कर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मदवार पृथक-पृथक नवीन पूर्ण प्रस्ताव संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रेषित करें।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधे 185 जोड़े

- निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का सपना हो रहा पूरा

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत बालोद जिले में मंगलवार को 185 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बँधे। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा टाऊन हॉल में 16 जोडें, वार्ड क्रमांक 13 गुण्डरदेही में 55 जोड़े और डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम कुसुमकसा में 74 जोड़े तथा ग्राम सुरसुली के नर्मदा धाम में 42 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा वर-वधुओं को जीवनोपयोगी विभिन्न सामग्रियों सहित सुखमय जीवन की मंगलकामना के साथ 21 हजार रूपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, वर-वधु के परिवारजन सहित शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए विशेष प्रयास है। इससे विवाह के दिनों-दिन बढ़ते खर्च से अभिभावकों को राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस साल 7600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 50 हजार रूपए दी जाती है। योजना के तहत 21 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 21 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8 हजार रूपये तक व्यय किया जाता है।

एसपी ने किया 7 टीआई व 13 एसआई का ट्रांसफर, एसपी कार्यालय से आदेश जारी

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। एसपी दुर्ग ने जिले में पदस्थ 7 निरीक्षकों (टीआई) के साथ 13 उपनिरीक्षकों (उपनिरीक्षकों) का तबादला आदेश जारी किया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक से जारी आदेशानुसार :- नटीआई कपिल देव पांडेय, उतई से एसीसीयू, मनीष शर्मा रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना उतई, राजेश मिश्रा रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना प्रभारी सुपेला, आनंद शुक्ला यातायात थाने से थाना प्रभारी नेवई, विजय यादव रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना प्रभारी पुलगांव, वंदिता पानिकर महिला थाना प्रभारी को प्रभारी नियंत्रण कक्ष, चंद्रकांत कोसरिया रक्षित केन्द्र दुर्ग से यातायात थाना पदस्थ किया गया है। एसआई जिनका तबादला हुआ-इसी तरह उपनिरीक्षक नीता राजपूता रक्षित केन्द्र से महिला थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे चौकी प्रभारी मचांदुर को चौकी प्रभारी स्मृति नगर, नवीन राजपूता स्मकृति नगर से मचांदूर, राजभूषण सिंह रक्षित केन्द्र से लिटिया सेमरिया चौकी, धनेश्वर साहू रक्षित केन्द्र से थाना रानीतराई, प्रताप सिंह रक्षित केन्द्र दुर्ग से जामगांव आर, दीपक सिंह चौहान रक्षित केन्द्र से थाना बोरी, उग्रसेन जगत रक्षित केन्द्र से थाना नंदिनी नगर, उनियर कुमार चांदे रक्षित केन्द्र से थाना पदमनाथपुर, राजबहादुर यादव थाना पुरानी भिलाई से पदमनाथपुर, कुमार सिंह सिनहा रक्षित केन्द्र से नेवई थाना तथा रामजी को रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना भिलाई नगर पदस्थ किया गया है।

जंगल सफारी में 51 दिनों में 9 वन्य जीवों की हुई मौत

रायपुर (आरएनएस)। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में 51 दिनों (1 दिसंबर 2023 से20 जनवरी 2024) के बीच कुल 9 वन्य जीवों की मौत हुई है। इनमें 2 काला हीरण व एक चीतल की मौत स्वभाविक है। वहीं, एक नील गाय की मौत प्रसव के दौरान हुई। एक कोटरी अत्यधिक ठंड के कारण दम तोड़ दिया। 2 नील गायों की मौत की वजह आंतरिक चोट बताई गई है। एक चौसिंगा व एक चीतल की मौत निमोनिया के कारण हुई है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। वन मंत्री ने बताया है कि जंगल सफारी में 2 वन्यप्राणी डॉक्टर रखे गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया है कि वन्य जीवों के संबंध में जू कीपर्स पहली सूचना वन्यप्राणी डॉक्टरों को देते हैं।

गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण और अमानक कार्य पर ठेकेदार निलंबित

- -लोक निर्माण विभाग ने की कार्रवाई
- -चोटिया-चिरमिरी मार्ग का उन्नयन और नवीनीकरण कार्य पाया गया था खराब गुणवत्ता का
- -मामले में दो अधिकारियों को किया गया है निलंबित, दो को कारण बताओ नोटिस जारी

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। लोक निर्माण विभाग ने कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य करने वाले ठेकेदार को निलंबित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा विगत 18 जनवरी को निरीक्षण और जांच में सडक़ उन्नयन एवं नवीनीकरण का कार्य अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 9 फरवरी को ठेकेदार मेसर्स एम.के. गुप्ता एंड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था। ठेकेदार द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। विभाग ने ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए दो वर्ष के लिए उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर मामले में दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस कि.मी. लंबाई के उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.30 कि.मी.) के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल की जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम पाई गई। साथ ही किए गए कार्य की डेन्सिटी (घनत्व) भी कम पाई गई। कार्य अमानक स्तर का पाया गया।

सडक़ के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए नियुक्त ठेकेदार मेसर्स एम.के. गुप्ता एण्ड कंपनी, अ वर्ग ठेकेदार, कोरबा द्वारा गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही मार्ग का डामरीकरण कर गुणवत्ताविहीन कार्य कराया गया है, जिससे मार्ग में जगह-जगह गड्ढा हो गया है। अमानक और गुणवत्ताहीन कार्य के लिए मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार को कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

होली के लिए हर्बल गुलाल बनाने में जुटी जय माता दी महिला समूह

- हर्बल गुलाल हरा, गुलाबी, पीला एवं केसरिया रंगों में उपलब्ध

महासमुंद (आरएनएस)। इस बार भी होली को लेकर बिहान से जुड़ी जय माता दी महिला समूह डोकरपाली के महिला सदस्यों द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। महिलाएं होली त्यौहार के पूर्व ही हर्बल गुलाल तैयार करने में लगी है। इस गुलाल को लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन हर्बल गुलाल और हर्बल रंग की कई विशेषताएं हैं। इसमें फूलों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं गुलाल और रंग में महक के लिए भी फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, जो नुकसान करें।

समूह की सदस्य चित्ररेखा दीवान ने बताया कि पिछले साल होली में 80 किलो हर्बल गुलाल महिलाओं ने बनाया। जिससे 30 से 40 हजार रुपए की आमदनी हुई। जिसकी काफ़ी माँग रही। उन्होंने कहा कि 10 रुपये, 20 और 50 रुपए के हर्बल गुलाल के पैकेट बनाए थे। उन्होंने बताया कि पालक, लालभाजी, हल्दी. जड़ी, बुटी व फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का कार्य कर रही। इसके अलावा मंदिरों फूलों के बाजार से निकलने वाली इस्तेमाल किए हुए फूल पत्तियों को सुखाकर प्रोसेसिंग यूनिट में पीसकर गुलाल तैयार किया जाता है। गुलाब, गेंदे, स्याही फूल के साथ चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पत्तियां को भी प्रोसेस किया जाता है। इस बार भी लगभग 60 किलोग्राम गुलाल तैयार कर लिया गया है। जिसमें से आधी मात्रा बिक गई है। गुलाल अनेक रंगों में बनाए जा रहे है जिसमें हरा, गुलाबी, पीला, केसरिया गुलाल शामिल है।

हर्बल गुलाल बनाकर महिलायें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का रास्ता प्रशस्त कर रहीं हैं। गांव की महिला सदस्यों का कहना है कि हर्बल गुलाल होने के कारण इस गुलाल का डिमांड ज़िले सहित आसपास के ज़िलो में से भी आ रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

त्रिवेणी संगम के बीच स्थित है भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर

- रेत से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर माता सीता ने की थी पूजा अर्चना

राजिम (आरएनएस)। राजिम कुंभ कल्प के संगम तट पर पैरी, सोढूर और महानदी का संगम है। नदी के बीच में भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जिसे कुलेश्वनाथ महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ यहीं पर स्थित लोमष ऋषि के आश्रम के कुछ दिन गुजारे थे। उसी दौरान माता सीता ने नदी की रेत से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की थी। तभी से इस शिवलिंग को कुलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।

इस खुरदुरे शिवलिंग को माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था, जिसके निशान होने की बात जनमानस में प्रचलित है। चूंकि यह शिवलिंग क्षरण के कारण अपना मूल स्वरूप शनै: शनै खोता जा रहा है, इसलिए इस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए ऊपर से जाली लगाकर शिवलिंग को ढक दिया गया है। ताकि शिव भक्तों द्वारा पूजा अर्चना में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं से शिवलिंग की सुरक्षा की जा सकें।

भगवान कुलेश्वनाथ को लेकर मान्यता है कि बरसात के दिनों में कीतनी भी बाढ़ आ जाए। यह मंदिर डूबता नहीं है। कहा जाता है बाढ़ से घिर जाने के बाद नदी के दूसरे किनारे पर बने मामा-भांचा मंदिर को गुहार लगाते हैं कि मामा मैं डूब रहा है मुझे बचा लो। तब बाढ़ का पानी कुलेश्वरनाथ महादेव के चरण पखारने के बाद बाढ़ का स्तर स्वत: कम होने लगाता है। आज भी इस मान्यता को लोग कोई श्रद्धा से स्वीकाते हैं।

कहा तो यह भी जाता है कि राजिम के स्वर्ण तीर्थ घाट के समीप बने संत कवि स्व. पवन दीवान के आश्रम में स्थित प्राचीन मंदिर जिसमें एक गुफा भी है, जहां पर काली माता की मूर्ति विराज माना है। इस मंदिर से निकली सुरंग, सीधे कुलेश्वरनाथ मंदिर तक पहुंचती है। संभवत: बरसात के दिनों में पुजारी इसी सुरंग से होकर भगवान कुलेश्वर नाथ की पूजा अर्चना के लिए जाया करते होंगे। चूंकि अभी ये सुरंग बंद हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह शोध का विषय हो सकता है।